न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या 13 / 2021	रजू दिनांक 02.02.2021	निर्णय दिनांक 07.04.2021

1. कुलदीप पुत्र श्री दयाराम
2. किरण पत्नी दयाराम जातियान ब्राह्मण निवासीयान झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. शीशराम पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति जाट निवासी झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. बिमला देवी पत्नी रामोतार जाति अहीर निवासी भांवता की ढाणी तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।

—: असल अप्रार्थीगण

3. राजेन्द्र पुत्र भौरेलाल
4. संदीप कुमार पुत्र श्री भौरेलाल
5. महावीर प्रसाद पुत्र श्री भौरेलाल
6. सत्यवीर पुत्र श्री भौरेलाल
7. मनोज कुमार पुत्र श्री भौरेलाल
8. दलीप पुत्र श्री दयाराम
9. कमला पुत्री भौरेलाल जातियान ब्राह्मण निवासीयान झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तर अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

दिनांक :— 07.04.2021

I. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :—

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 1128 / 1.14 है0, 1129 / 0.03 है0, 1130 / 1.46 है0, 2103 / 1131 / 0.25 है0, 2105 / 1133 / 1.31 है0 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर में स्थित है, जो आराजी मिन प्रार्थीगण एवं तरअप्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है।
2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर [illegible] है0, 278 / 4 / 0.34 है0 वाके ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर [illegible] जो आराजी असल अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी [illegible]
3. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 278 / [illegible] 278 / 3, 278 / 4 [illegible] दक्षिण डोल झझारपुर रोड से लगा हुआ है।
4. यह है कि मिन प्रार्थीगण व तरअप्रार्थीगण [illegible] की आराजी खसरा नम्बर 1128 / 1.14 है0 आराजी का उत्तर की डोल खसरा [illegible] बर 278 / 4 / 0.34 है0, के दक्षिण डोल से लगता हुआ है।
5. यह है कि झझारपुर सडक से और मिन प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1128 / 1.14 है0 में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण असल की आराजी खसरा नम्बर 278 / 1, 278 / 3, 278 / 4 के दक्षिण की डोल के साथ साथ 1128 में पहुचते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:24:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर), राज0

6. यह है कि मिन प्रार्थीगण और तरअप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1128, 1130, 1131, 1133 में आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नही है।

7. यह है कि असल अप्रार्थीगण मिन प्रार्थीगण को आने जाने के लिये बाधा उत्पन्न करते है, जिस कारण प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता पेश है।

8. यह है कि झझारपुर डामर रोड से खसरा नम्बर 278/1, 278/3, 278/4 के दक्षिण डोल के साथ साथ खसरा नम्बर 1128 तक जाने के लिये जिसका उत्तर का हिस्सा खसरा नम्बर 278/4 के दक्षिण हिस्से से लगाता हुआ है, जो 10 फुट चौडा और पूर्व पश्चिम 600 फुट लम्बाई में रास्ता प्रार्थीगण व तरअप्रार्थीगण को दिलाया जाना आवश्यक है। जिससे मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी में काश्त कार्य हेतु आ जा सके।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि –

आराजी खसरा नम्बर 1128 वाके ग्राम शामदा में पहुचने के लिये झझारपुर डामर सडक से खसरा नम्बर 278/1/0.34 है, 278/3/0.34 है, 278/4/0.34 है0 वाके ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर की दक्षिण डोल के साथ साथ 10 फुट चौडा और 600 फुट लम्बाई में पूर्व पश्चिम रास्ता कायम करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 01 व 02 तलबी बाद अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही अमल में आई गई। तर अप्रार्थीगण संख्या 03 लगा0 9 की और से अधिवक्ता श्री गंगाराम पटेल उपस्थित हुए। तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई, रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बर तक आने जाने के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता नही है, खसरा नम्बर 278/1, 278/3, 278/4 की पूर्व पश्चित डोल लगाता हुआ 10 फुट चौडा रास्ता प्रार्थी के खसरा नम्बर 1128 तक चाहता है। उक्त रास्ता से निकटतम और कोई रास्ता नही है। तहसीलदार मुण्डावर की रिपोर्ट पर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।

1. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, नक्शा ट्रेस पेश किये गये।
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
3. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
4. बहस वकूलाय एक पक्षीय सुनी गई।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

ग्राम झझारपुर का खसरा नम्बर 1128 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1128 में आने–जाने के लिए ख0नं0 278/1, 278/3, 278/4 में से 10 फुट चौड़ा रास्ता चाह रहा है। खसरा नम्बर 278/1, 278/3, 278/4 में प्रार्थी स्वयं खातेदार नही है। ख0नं0 1128 में पहुचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा [illegible] है। खसरा नम्बर 1128 के चारो तरफ कोई कटानी सार्वजनिक [illegible] लगता है। ख0नं0 खसरा नम्बर 1128 में आने–जाने के लिए एक मात्र [illegible] ख0 278/1, 278/3, 278/4 में से ही उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:24:31 IST
Reason: SelfAttested

समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 1128 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 278/1, 278/3, 278/4 की दक्षिणी डोल के साथ साथ 10 फुट चौडा रास्ता ही एकमात्र न्यूनतम दूरी का, व्यवहारिक व सुविधाजनक रास्ता हो सकता है।

खसरा नम्बर 1128 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 278/1, 278/3, 278/4 की पूर्व पश्चित से होकर कदीम से आता जाता है। रास्ता कटानी नही होने से प्रार्थी को नाजायज परेशान कर रहे है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन

०५६

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1128 की बारानी 1 किस्म है।

न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। इस प्रकार नियमानुसार वर्तमान डी.एल.सी दर की दो गुणी राशि सम्बधित काश्तकारों को भुगतान दिये जाने के आधार पर यह न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम झझारपुर, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 278/1, 278/3, 278/4 मे से दक्षिणी डोल के साथ साथ में भूमि लम्बाई के पूर्व पश्चिम समानुपाति चौड़ाई में 10 फीट, प्रार्थी को प्रचलित सार्वजनिक रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 1128 के कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार मुण्डावर उक्त रास्ते में पयुक्त रकबे के क्षेत्रफल अनुसार कास्तकारों की आयी भूमि की वर्तमान डी.एल.सी दर से दो गुणी राशि की गणना किए प्रार्थी से जमा करवाए जावे। उक्तानुसार डी एल सी दर से गणना कराये जाने उपरान्त प्रार्थी जमा कराये जाने योग्य राशि जमा कोष कराये जाने पर ही उक्त रास्ते में आई खातेदार काश्तकारो को भूमि के अनुपात के अनुसार वितरण कर रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को नजरी नक्शा (परिशिष्ठ A) में ए से बी तक दिखाया गया है। परिशिष्ट–ए निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राशि जमा कोष कराये जाने उपरांत ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले में हस्ताक्षरित इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.25 11:24:31 IST
Reason: SelfAttested